रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2012/कार्तिक 29, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 194
No. 190] DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2012/KARTIKA 29, 1934 [N.C.T.D. No. 194

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2012

फा. सं. 12/01/2006/प्रसु./12785-12944/L.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के खंड 2 के उपखंड क (i) के अनुसरण में एवं दिनांक 30.07.1998 के यथासंशोधित संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री शान्ति कुमार जैन, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को जन शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उपरोक्त संकल्प में निहित नियम एवं शर्तों के अनुसार उनका कार्यकाल 27.08.2016 तक अर्थात् उनकी आयु 65 वर्ष हो जाने तक बढ़ाते हैं।

एम. एम. कुट्टी, प्रधान सचिव

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2012

F. No. 12/01/2006/AR/12785-12944/L.—In pursuance of sub-clause A(i) of clause 2 of Government of National Capital Territory of Delhi Resolution No.F.4/14/94-AR dated 25-09-1997 as amended vide Resolution No.F.4/14/94-AR dated 30-07-1998, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the tenure of Sh. Shanti Kumar Jain, IPS (Retd.) as Whole-Time Member, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi upto 27.08.2016 i.e. the date on which he attains the age of 65 years, subject to the terms & conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

M. M. KUTTY, Pr. Secy.

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2012

फा. सं. 3(9)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009-10/खं.फा.-1/डीएस VI/232.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप–राज्यपाल, मूल्य सवंर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात:–

कम सं0	अधिकारी का नाम श्री / श्रीमती / कु0	पदनाम
1	विजय सिंह	सहायक मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप-सचिव-VI

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2012

F. No. 3(9)/Fin.(T & E)/2009-10/PTF.1/DS VI/232.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub- section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:-

S.No.	Name of the Officer (Sh/Smt./Km)	Appointed As
1	Vijay Singh	Assistant Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2012

फा. सं. 13/7/2012/एचपी (पी-1)/स्थापना/4698 से 4703.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 5(ख) के साथ पठित धारा 147 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**

(1) ये नियम दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें)(संशोधन) नियमावली–2012 कहे जायेंगे।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 7 का संशोधन** :– दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें) नियमावली, 1980 के वर्तमान नियम–7 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"**पुरस्कार** – (1) आयुक्त पुलिस, विशेष आयुक्त पुलिस, संयुक्त आयुक्त पुलिस, अतिरिक्त आयुक्त पुलिस, उपायुक्त पुलिस, अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस आम आदमी या पुलिस कर्मी को नीचे उनके पद के सामने अंकित सीमा तक के पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं :–

क	आयुक्त पुलिस	प्रशस्ति रोल	असाधारण कार्यों की वरीयता के लिए बजट की सीमा तक नकद पुरस्कार
ख	विशेष आयुक्त पुलिस	प्रशस्ति प्रमाण पत्र	ऐसे विशेष योग्यता के कार्यों के लिए प्रत्येक मामले में 10,000/–रुपये नगद पुरस्कार जिनपर उच्च स्तर का ऐसा सम्मान दिया जाना चाहिए जिसे देने के लिए संयुक्त आयुक्त पुलिस सक्षम नहीं है।
ग	संयुक्त आयुक्त पुलिस	प्रशस्ति प्रमाण पत्र	ऐसे विशेष योग्यता के कार्यों के लिए प्रत्येक मामले में 5,000/–रुपये नगद पुरस्कार जिनपर उच्च स्तर का ऐसा सम्मान दिया जाना चाहिए जिसे देने के लिए अतिरिक्त आयुक्त पुलिस सक्षम नहीं है।
घ	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस	प्रशस्ति प्रमाण पत्र	ऐसे विशेष योग्यता के कार्यों के लिए प्रत्येक मामले में 2,000/–रुपये नगद पुरस्कार जिनपर उच्च स्तर का ऐसा सम्मान दिया जाना चाहिए जिसे देने के लिए उपायुक्त पुलिस सक्षम नहीं है।

ङ	उपायुक्त पुलिस/ अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस	प्रशस्ति पत्र श्रेणी–I व II	अच्छे कार्य के लिए विषेष उदाहरण के सम्मान या अपराध की जांच या बचाव करने में पुलिस की सहायता की हो, कानून एवं व्यवस्था या अन्य प्रषासनिक मामलों में सहयोग किया हो, ऐस प्रत्येक मामले में 1,000/–रू0 तक नकद पुरस्कार

(2) उपरोक्त नियम–7 (1) के अन्तर्गत आयुक्त पुलिस, विशेष आयुक्त पुलिस, संयुक्त आयुक्त पुलिस, अतिरिक्त आयुक्त पुलिस, उपायुक्त पुलिस, अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस पुरस्कार स्वीकृत करने की अपनी सक्षमतानुसार आम जनता द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुरस्कार को स्वीकार कर सकते हैं व बांट सकते हैं।

(3) नियम–7 (1) द्वारा प्रदत्त शर्तानुसार पुरस्कार केवल ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है, जो पुलिस अधिकारी नहीं हो और उसने पुलिस के कार्यकलापों या अन्य प्रशासनिक मामलों में पुलिस की किसी भी शाखा में कोई महत्वपूर्ण सूचना दी हो

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जी. पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव

HOME-(I) POLICE /ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2012

F. No. 13/7/2012/HP-1/Estt./4698 to 4703.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 147, read with section 5(b) of the Delhi Police Act, 1978, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rule further to amend the Delhi Police (General Conditions of Service) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and Commencement

(1) These Rules shall be called the Delhi Police (General Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2012

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 7

In the Delhi Police (General Conditions of Service) Rules, 1980, for existing Rule 7, the following shall be substituted namely:-

" **Rewards- (1)** The Commissioner of Police, Spl.Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Addl.Commissioner of Police, Deputy Commissioner of Police, Addl.Deputy Commissioner of Police may sanction rewards to the Public or Police, upto the limits noted against each here under:

a.	Commissioner of Police	Commendation Roll	Cash reward upto budget limit for actions of outstanding merit.

b.	Special Commissioner of Police	Commendation Certificate	Cash reward upto Rs.10000/- in each case, for action of such special merit as to deserve a higher form of recognition than a Joint Commissioner of Police is empowered to give.
c.	Joint Commissioner of Police	Commendation Certificate	Cash reward upto Rs.5000/- in each case for actions of such special merit as to deserve a higher form of recognition than an Additional Commissioner of Police is empowered to give.
d.	Additional Commissioner of Police	Commendation Certificate	Cash reward upto Rs.2000/-in each case for actions of such special merit as to deserve a higher form of recognition than a Deputy Commissioner of Police is empowered to give.
e.	Deputy Commissioner of Police/ Additional Deputy Commissioner of Police	Commendation Card Class-1 & 11	Cash reward upto Rs.1000/- in each case in recognition of Specific instances of good work or assistance to Police in connection with the prevention or detection of Crime, the preservation of law and order or in other administrative matters.

(2). The Commissioner of Police, Spl.Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Addl.Commissioner of Police, Deputy Commissioner of Police, Addl.Deputy Commissioner of Police may accept and disburse rewards, offered by the Public to the extent upto which they are themselves empowered to sanction rewards, under rule 7(1) above.

(3) Subject to the limits imposed by Rule 7 (1), rewards may be given to persons, who are not Police Officer, for assistance or information of special merit, given to the Police in any branch of Police activity or in other administrative matters.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Secy.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2012

फा. सं. 11(22)/रा.स्था./84(1)/2471.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री सत्य नारायण मीणा , सहायक बंदोबस्त अधिकारी , दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब तक वे इस पद पर बने रहते है अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व अथवा प्रबंध की अधीनस्थ भूमि के लिए सहायक कलैक्टर, प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

4344 DG/12-2

कुलदीप सिंह गंगर, विशेष सचिव (राजस्व)/उपायुक्त (मुख्यालय)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2012

F. No. 11(22)/Rev. Estt./84(1)/2471.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-clause (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon *Sh. Satya Narain Meena, Asstt. Settlement Officer of Delhi Development Authority*, the powers of Assistant Collector, Grade-I under the said Act in respect of land owned by or under the management of Delhi Development Authority, so long as he holds such post or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Spl. Secy. (Revenue)/Dy. Commissioner (HQ)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.